

आकाशवाणी
देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 21.12.2025
समय 1830

मुख्य समाचार :-

- कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा— सरकार संसद के अगले सत्र में नकली उर्वरकों और कीटनाशकों के खिलाफ विधेयक लाएगी।
- रेलवे ने 26 दिसंबर से यात्री किरायों को युक्तिसंगत बनाया। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराये में कोई बदलाव नहीं।
- उत्तरकाशी और पौड़ी में "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" अभियान के तहत बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया।
- देहरादून जिला प्रशासन ने 54 ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया मॉडर्न प्ले स्कूल।

जी राम जी विधेयक

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार नकली उर्वरकों और कीटनाशकों से निपटने के लिए संसद के अगले सत्र में सरकार एक विधेयक लाएगी। नई दिल्ली में कल चौधरी चरण सिंह पुरस्कार समारोह में उन्होंने भ्रामक टैग के साथ नकली उर्वरकों और कीटनाशकों की बिक्री पर चिंता प्रकट की। श्री चौहान ने कहा कि बेईमान कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक न केवल किसानों और श्रमिकों के लिए लाभकारी है, बल्कि गांवों के विकास से भी हर तरह से जुड़ा हुआ है।

रेलवे

रेलवे 26 दिसंबर से रेल किराए को युक्तिसंगत बनाएगा। सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे अधिक दूरी की यात्रा पर प्रति किलोमीटर एक पैसे की दर से वृद्धि की जाएगी। मेल, एक्सप्रेस और वातानुकूलित गाड़ियों में यह दर 2 पैसे प्रति किलोमीटर होगी। रेलवे के अनुसार, किराए में वृद्धि से लगभग 6 सौ

करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। रेलवे ने बताया कि पिछले दशक में रेल ढांचे में काफी वृद्धि हुई है और बेहतर संचालन के लिए जनशक्ति बढ़ाई जा रही है।

बीएसएफ

गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल— बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट मिलेगी, जबकि शेष पूर्व अग्निवीरों को तीन वर्ष की छूट मिलेगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी।

अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक भर्ती वर्ष में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत और ट्रेड्समैन के लिए तीन प्रतिशत तक रिक्तियां आरक्षित रहेंगी।

जनजन सरकार उत्तरकाशी

उत्तरकाशी के दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्र आराकोट में “जन—जन की सरकार, जन—जन के द्वार” अभियान के तहत बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 1 हजार 450 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने स्वयं ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे, इसलिए प्रशासन लोगों के द्वार तक पहुंचकर समाधान सुनिश्चित कर रहा है।

उधर, पौड़ी जिले में भी “जन—जन की सरकार, जन—जन के द्वार” अभियान के तहत प्रशासन गांव—गांव पहुंच रहा है। शिविर में जंगली जानवरों के आतंक, बिजली आपूर्ति, सड़क मरम्मत और मोटर मार्ग निर्माण से जुड़ी शिकायतें सामने आईं, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही किया गया। कृषि अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि शिविर में कुल 16 शिकायतें दर्ज की गईं।

मॉडर्न आंगनबाड़ी

देहरादून जिला प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की जिला योजना के तहत 54 ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पर मॉडर्न किया है। कार्यदायी संस्था लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से इन सभी केंद्रों को आधुनिक प्ले स्कूल का स्वरूप दिया गया है, ताकि छोटे बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण मिल सके।

आंगनबाड़ी केंद्रों में मरम्मत कार्य के साथ अंदर और बाहर की दीवारों को आकर्षक चित्रों से सजाया गया है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई और सीखने के लिए स्मार्ट टीवी भी लगाए गए हैं।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि रायपुर ब्लॉक में दो, डोईवाला, विकासनगर और कालसी में आठ-आठ, सहसपुर में चार तथा चकराता ब्लॉक में 24 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न प्ले स्कूल में बदला गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 150 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

शरदोत्सव मेला

अल्मोड़ा जिले के एसएसजे विश्वविद्यालय के खेल मैदान सिमकनी में शरदोत्सव मेले का आयोजन किया जा रहा है। खादी ग्रामोद्योग सेवा समिति उत्तराखंड के सहयोग से आयोजित इस मेले में खादी, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है।

मेले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा "दीदी की रसोई" खाद्य वाहन के माध्यम से स्थानीय खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही है, जिससे समूह की महिलाओं को अच्छा लाभ मिल रहा है।

मेले में खरीदारी के लिए पहुंचे दीपक भट्ट ने बताया कि मेले में सभी वर्गों के लिए अच्छी सामग्री उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी आकर्षक साधन लगाए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग मेले का लाभ उठा रहे हैं।

सर्दी और स्वास्थ्य

बारिश न होने के कारण मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है, वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार पड़ रही सूखी ठंड से जनजीवन प्रभावित है। रुद्रप्रयाग जिले में सूखी ठंड के चलते बीमार पड़ने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

जिले के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों में करीब 40 प्रतिशत मामले खांसी, जुकाम और वायरल से संबंधित हैं। खासतौर पर बच्चे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें स्वस्थ होने में एक सप्ताह से दस दिन तक का समय लग रहा है।

रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में सभी प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि पहले कुछ जांचें बाहर करानी पड़ती थीं, लेकिन अब जिला अस्पताल में ही सभी जरूरी जांचें की जा रही हैं।

जन मिलन कार्यक्रम

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों व आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं और उनके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। राज्यपाल ने कहा कि जन मिलन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन, विशेषकर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है।

जन मिलन कार्यक्रम में पौड़ी, अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर और देहरादून जनपदों से आए कुल 12 लोगों ने भूमि विवाद, मुआवजा, रोजगार, विकास कार्यों व आर्थिक सहायता से जुड़ी समस्याएं रखीं। राज्यपाल ने शिकायत निवारण अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसे तुरंत संबंधित जिलाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया जाए, ताकि समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके।

राज्यपाल ने कहा कि अधिकांश समस्याएं छोटी और सामान्य होती हैं, लेकिन समय पर समाधान न होने से आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी समस्याओं का नियमानुसार, प्राथमिकता के आधार पर और शीघ्र निस्तारण किया जाए।